



एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक: एफ-5/शैक्षणिक/रागाप्रौवि/2024/1069

दिनांक: 16/10/2024

सूचना

संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन हेतु

बी.टेक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में ब्रांच /संकाय परिवर्तन के संबंध में सत्र 2024-25 में मध्यप्रदेश के शासकीय, स्वशासी अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं स्ववित्तीय एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों /संस्थाओं (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों) में अध्ययनरत विद्यार्थियों के ब्रांच/संकाय परिवर्तन के इच्छुक अभियार्थियों हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे:-

01. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में ब्रांच/संकाय/ परिवर्तन की कार्यवाही म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ14-14/2007 बयालीस (1) भोपाल दिनांक 08 जुलाई 2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में जावेगी।
02. ब्रांच/संकाय परिवर्तन के लिये सक्षम प्राधिकारी संबंधित संस्था के प्राचार्य होंगे, जो विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
03. ब्रांच/संकाय परिवर्तन का आधार अर्हकारी परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों में प्राप्तांक होंगे।
04. ब्रांच/संकाय परिवर्तन किये जाने के उपरांत ब्रांच/संकाय परिवर्तन निरस्त नहीं किया जावेगा।
05. शैक्षणिक सत्र 2024-25 की स्थिति में द्वितीय वर्ष के लिये विश्वविद्यालय द्वारा काउंसलिंग 2024 के लिये जारी प्रथम वर्ष की रिक्तियों/स्थानों के विरुद्ध ब्रांच/संकाय परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावे।
06. ब्रांच/संकाय परिवर्तन हेतु संस्थाएं संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ऑनलाइन निम्न लिंक पर जानकारी/प्रविष्टि निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकेंगे।
07. ब्रांच/संकाय परिवर्तन हेतु ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय के पोर्टल पर कालेज -लॉगिन पर उपलब्ध लिंक [https:// www.rgpv.ac.in/Login/InstitutionsLogin.aspx](https://www.rgpv.ac.in/Login/InstitutionsLogin.aspx) के माध्यम से प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/10/2024 रहेगी।
08. ब्रांच/संकाय परिवर्तन हेतु संस्था प्राचार्य द्वारा जारी किया गया सूचना -पत्र (छात्रों को), निर्धारित प्रारूप में रिक्त स्थानों की जानकारी, ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही विवरण (जिसमें नामांकन क्रमांक छात्र का नाम, ब्रांच का उल्लेख के साथ) तथा ब्रांच परिवर्तन आदेश की स्कैन-प्रति पोर्टल पर अपलोड करें एवं उसकी मूल प्रति अंतिम तिथि के पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
09. ऑनलाइन आवेदन/ प्रविष्टि संस्थायें सावधानी पूर्वक भरें एवं समस्त आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि उपरांत उसका अच्छी तरह मिलान कर लेवे। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा बिन्दु क्रमांक 6 में उल्लेखित जानकारी (सूचना पत्र, कार्यवाही विवरण, रिक्त स्थानों की जानकारी, ब्रांच परिवर्तन में संस्था प्राचार्य का आदेश, ब्रांच परिवर्तन उपरान्त संस्थाओं में रिक्त सीटों की जानकारी) ऑफलाइन निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ब्रांच/संकाय परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावेगी उसके लिये संस्थायें स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
10. ब्रांच /संकाय परिवर्तन हेतु प्रति छात्र रुपये 500/- शुल्क देय होगा। जो कि ऑन लाइन जमा किया जावेगा।

(माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन अनुसार)



कुलसचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,


भोपाल।

दिनांक: 16/10/2024

पृष्ठांकन क्रमांक: एफ-5/शैक्षणिक/रागाप्रौवि/2024/1070

प्रतिलिपि

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. निजसचिव माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. नियंत्रक (परीक्षा), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
6. डॉ. शशिरंजन अकेला, समन्वयक (सांस्कृतिक-जन्सम्पर्क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
7. संचालक/प्राचार्य समस्त संबद्ध संस्था/महाविद्यालय।



कुलसचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

भोपाल।